पटना में दिनांक–21 अप्रैल, 2020 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	आपदा प्रबंधन विभाग		
1.	कोराना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित राशन कार्ड धारियों को सहायता पहुँचाने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–01/प्रा॰आ॰–0–3–02/2020/1224/आ॰प्र॰ दिनांक–02.04.2020 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	आपदा प्रबंधन विभाग		
2.	मार्च 2020 में हुई असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु ₹518.42 करोड़ (पाँच सौ अठारह करोड़ बेयालीस लाख रूपये) कृषि इनपुट अनुदान की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
3.	वित्तीय वर्ष 2020–21 में नगर पंचायत, रफीगंज में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत कुल राशि ₹3863.57995 लाख (अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख संतावन हजार नौ सौ पंचानवे रू०) मात्र की योजना की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
4.	बिहार में कार्यरत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार के हिस्सा के रूप में क्रमशः 22.72 करोड़ रूपये तथा 10.80 करोड़ रूपये अर्थात कुल 33.52 करोड़ रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किए जाने एवं उसके भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
5.	बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–131(ठ)(ii) में हुए संशोधन संबंधित घटनोत्तर स्वीकृति हेतु।	5.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6.	राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1000 पद अर्थात कुल 33,916 शिक्षक के पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2020—21 में केन्द्रांश की राशि की विमुक्ति के प्रत्याशा में उपबंधित राज्यांश की राशि रू० 13000.00 लाख (एक अरब तीस करोड़ रू० मात्र) की निकासी राज्य कोषागार से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

9.	कोविड—19 के संदर्भ में राज्य में हुए लॉकडाउन की स्थिति में संविदा कर्मियों तथा वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति एवं मानदेय/मजदूरी भुगतान के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

11.	सारण जिलान्तर्गत "गंगा नदी के बाँयें तट पर बली टोला (नजरमीरा) से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि—रूपये 4509.64 लाख (पैंतालीस करोड़ नौ लाख चौसठ हजार) मात्र हैं, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	11.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12.	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम—04—2011) के तहत निर्गत अधिसूचना सं0—11960 एवं 11961 दिनांक—15.09.2017 के क्रमांक—07 पर उल्लेखित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की दो सेवाएँ I —नये राशन कार्ड का निर्गमन II— राशन कार्ड में संशोधन, के स्थान पर नई सेवाओं को समावेशित करने के संबंध में।	12.	स्वीकृत।